



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दहेज उत्पीड़न में अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 4000/-रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०-532/2022 धारा-498ए, 304बी भा०द०स० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एडीजे प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फूल सिंह पुत्र छोटेलाल उर्फ छंगा निवासी अतरौलिया कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को धारा-498ए व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास व ₹4,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी महेशचन्द्र
द्विवेदी



विवेचक-
क्षेत्राधिकारी प्रमोद
कुमार सिंह



पैरोकार- थाना राठ
का० सर्वज्ञ